अध्याय– 30

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की धारा 10(1)(ञ) के अधीन गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्य के निर्वाचन को शासित करने से संबंधित परिनियम।

(1) रजिस्ट्रार अपने कार्यालय में पंजीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उनके नाम, वर्ष जिसमें उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री दी गई हो तथा स्थाई पते दिये जायेगे।

(2) कोई भी व्यक्ति पंजीकृत स्नातक के रूप में नामांकित किऐ जाने के लिए पात्र होगा यदिः–

(क) वह गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर का स्नातक अथवा अधिस्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) हो और विश्वविद्यालय द्वारा उसे डिग्री प्रदत्त की गई हो।

(ख) वह रजिस्ट्रार गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर को नामांकन के लिए प्रार्थना पत्र नियम प्रपत्र में जिसके साथ नियत शुल्क भी हो प्रत्येक वर्ष प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने के लिए नियत दिनांक को उसके पूर्व दे।

(ग) उसने नामांकन के समय 50 रूपये का पंजीकरण शुल्क तथा नामांकरण के प्रति वर्ष के लिए 10 रूपये का वार्षिक शुल्क अदा कर दिया हो।

रजिस्ट्रार यह समाधान हो जाने पर कि प्रार्थी पंजीकृत स्नातक के रूप में नामांकन के लिए पात्र है, प्रार्थी का नाम पंजीकृत स्नातक के रूप में नामांकित कराएगा। यह रजिस्टर प्रत्येक निर्वाचन के दिनांक से 30 दिन पूर्व बन्द कर दिया जायेगा।

नाम निर्देशन की रीति तथा प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन।

(3) नामांकित पंजीकृत स्नातकों की नामावली छापी जायेगी ओर उसकी एक प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से निर्धारित फीस का भुगतान करने पर किसी भी पंजीकृत स्नातक को उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह रजिस्टर को अद्‌यावधिक रखे।

(4) पंजीकृत स्नातक प्रबन्धक बोर्ड के लिए अपने में से एक व्यक्ति का निर्वाचन डाक मत **पोस्टल बैलेट** द्वारा आगे दी गई रीति के अनुसार करेंगें।

(5) उप कुलपति द्वारा तदर्थ नाम निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अथवा विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी बोर्ड में पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।

(6) प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने के कम से कम एक महीने पूर्व निर्वाचन होगा।

(7) निर्वाचन अधिकारी एक निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित के संबंध में दिनांक, समय तथा स्थान निर्दिष्ट होगा।

(1) निर्वाचन की अधिसूचना
(2) नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना।
(3) नाम निर्देशन पत्रों का परिनिरीक्षण।
(4) नाम निर्देशन पत्रों का वापस लेना
(5) मतदान यदि आवश्यक हो, और
(6) मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा

(8) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के दिनांक से कम से कम 90 दिन पूर्व प्रत्येक पंजीकृत स्नातक को रजिस्ट्री डाक द्वारा आवश्यक विवरण सहित निर्वाचन की सूचना भेजेगा।

(9) (1) निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी का नाम नामांकन के लिए नियत प्रपत्र में किसी पंजीकृत स्नातक द्वारा प्रस्तावित तथा किसी दूसरे पंजीकृत स्नातक द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव में निर्वाचन के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का प्रस्तावक तथा अनुमोदक का पूरा नाम तथा पता ओर ऐसी अन्य सूचना जो नाम निर्देशन प्रपत्र में वांछित हो, दी होगी। कोई भी प्रस्ताव तब तक वैध न समझा जायेगा तब तक कि निर्वाचन के लिए प्रस्तावित व्यक्ति नियत प्रपत्र में लिखित रूप से अपनी सहमति न व्यक्त करे ओर नाम निर्देशन प्रपत्र में समस्त अपेक्षित सूचनाएं न दी गई हों। निर्वाचन अधिकारी के स्वविवेकानुसार नाम निर्देशन पत्रों में ऐसी अनयमितताओं की उपेक्षा की जा सकती है जो सारवान न हो।

(2) अभ्यर्थी ने चुनाव के दिनांक को तीस साल की उम्र पूरी कर ली हो अथवा उसे विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किये 10 वर्ष पूरे हो चुके हों।

(3) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की सेवा में रत कोई भी व्यक्ति पंजीकृत स्नातक के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की सदस्यता के लिये चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा।

(10) कोई पंजीकृत स्नातक परिनियम 9 में नियम रीति से केवल एक व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करने का हकदार होगा।

(11) निर्वाचन अधिकारी परिनिरीक्षा के दिनांक से पूर्व उन समस्त अभ्यार्थियों की सूची जिन्हें प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया गया हो, अपने कार्यालय में चिपका देगा।

(12) निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त नाम निर्देशन पत्रों को उसी दिन और समय पर परिनिरीक्षा की जायेगी जो उक्त प्रयोजन के लिए निश्चित हो। परिनिरीक्षा के समय कोई अभ्यर्थी या उसके द्वारा लिखित रूप से नियुक्त किया गया कोई प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।

उन अभ्यर्थियों की एक सूची जिनके नाम निर्देशन पत्र वैध घोषित किये हों परिनिरीक्षा के दिनांक को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर प्रकाशित कर दी जायेगी और उस सूची की एक प्रतिलिपि अभ्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को दी जायेगी और यदि उनमें से कोई उपस्थित न हो तो वह अभ्यर्थी को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(13) कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी को नाम वापस लेने के लिए निश्चित दिनांक और समय तक रजिस्ट्री डाक द्वारा पत्र भेजकर जिस पर यथा विधि उसके हस्ताक्षर हो ओर जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या विश्वविद्यालय के संघटक कालेज के किसी डीन या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो निर्वाचन लड़ने से अपना नाम वापस लेने पर उसे रद्द नहीं किया जा सकता ।

(14) अभ्यर्थी के नाम वापस लेने के समय की समाप्ति के पश्चात निर्वाचन अधिकरी वैधतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची की एक प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर अधिसूचित करेगा।

(15) यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जो वैधतः नाम निर्दिष्ट हुए हों ओर जिन्होंने उम्मीदवारों से अपना नाम वापस न लिया हो एक से अधिक न हो तो ऐसा अभ्यर्थी यथाविधि निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(16) यदि वैधतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो और उन्होने अपना नाम भी वापस न लिया जो तो इन परिनियमों में निर्धारित रीति से मतदान होगा।

(17) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के लिए वैधतः नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के निर्वाचन से कम से कम 30 दिन पहले भारत में रहने वाले प्रत्येक पंजीकृत स्नातकों को पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में दिये हुए उनके पते पर रजिस्ट्री लिफाफे में अन्य विवरण सहित सूचना भेजेगा इसके साथ एक मत पत्र होगा जिसमें यथा विधि नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों के वर्णमाला कम में नाम, उनकी शैक्षिक डिग्रियां, उपलब्धियां ओर पते दिये होगें तथा एक सहपत्र होगा। मतपत्र पर विश्वविद्यालय की मोहर लगी होगी

और उसके प्रतिपर्ण पर रजिस्टर में दिये हुए पंजीकृत स्नातक की संख्या लिखी होगी प्रतिपर्ण निर्वाचन अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा।

(18) किसी नोटिस के प्राप्त न होने या किसी मतदाता को मतपत्र प्राप्त न होने अथवा मतपत्र समय से प्राप्त न होने जिससे, कि उसे निर्वाचन अधिकारी को नियत दिनांक तक वापस कर सकें, के कारण कोई निर्वाचन अवैध न होगा।

(19) पंजीकृत स्नातक अपने सहपत्र पर इस विश्वविद्यालय के संघटक कालेज के डीन अथवा राजपत्रित अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करेगा। यदि पंजीकृत स्नातक सशस्त्र सेना मे काम करता हो, तो वह अपने सहपत्र पर अपनी यूनिट के ऑफीसर के सामने हस्ताक्षर कर सकता है।

स्पष्टीकरणः यदि उपरिलिखित कोई व्यक्ति जिसे सहपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने और उसे प्रमाणित करने का अधिकार हो स्वयं पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रबंधक बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ रहा हो तो वह मतदाताओं के सहपत्र पर न प्रतिहस्ताक्षर करेगा और न उसे प्रमाणित करेगा।

(20) पंजीकृत स्नातक तब बंद लिफाफे सहित जिसमें उसका मतपत्र होगा सहपत्र को एक दूसरे लिफाफे में रखेगा और उसे जो निर्वाचन अधिकारी को संबोधित किया जायेगा जिसमें कि वह उसके पास मतदान बंद होने के अधिकृत दिनांक और समय तक पहुच जाय किन्तु प्रतिबंध यह है कि बंद लिफाफे के मतपत्र की तक तक गणना नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ के सहपत्र पर निर्वाचक का हस्ताक्षर और पद का नाम लिखकर उसे प्रमाणित करेगा निर्वाचन अधिकारी यथा संभव शीघ्र ऐसे लिफाफों के प्राप्त हो जाने के पश्चात उन्हें मत पेटी में रखेगा। कोई लिफाफा जो मत पेटी के बन्द होने के बाद प्राप्त होगा उसे अवैध माना जायेगा।

(21) उपर्युक्त परिनियम के अधीन मत देने के लिए हकदार व्यक्तियों से समय के भीतर रजिस्ट्री लिफाफे से प्राप्त मतपत्र तथा सहपत्र निर्वाचन के दिनांक को जब सहपत्र की परिनिरीक्षा की जायेगी खोले जायेगे।

(22) मतपत्र का लिफाफा अस्वीकार कर दिया जायेगा यदिः–

(1) लिफाफे में मतपत्र के लिफाफे के बाहर कोई सहपत्र न हो।

(2) सहपत्र पर पंजीकृत स्नातक के हस्ताक्षर तथा क्रम संख्या न हो, या वह उपयुक्त प्रकार से प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित न हो, या

(3) मतपत्र, मतपत्र वाले लिफाफे के बाहर रखा गया हो।

(23) (क) पंजीकृत स्नातक मतपत्र आवरण पर उस व्यक्ति के नाम के सामने जिसे वह मत देना चाहता हो एक ग का चिन्ह बना देगा ।

(ख) मत पत्र उन दशाओं में भी अस्वीकार कर दिया जायेगा यदिः–

(1) मतदाता ने मतपत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर किया जो या कोई शब्द लिखा हो या कोई चिन्ह बनाया हो जिससे वह पहचाना जा सके, या

(2) उस पर मत अधिलिखित न हो, या

(3) पंजीकृत स्नातक लिखित मतों की संख्या एक से अधिक हो जाय या वह अनिश्चितता के कारण अमान्य हो

(4) मतपत्र पर ग का चिन्ह विकृत हो जिससे कि यह संदेह हो कि चिन्ह वैसा ही है जैसा कि मूल रूप से बनाया था या उसे बदलने या नष्ट करने का या मिटा देने का प्रयास किया हो।

(24) मतपत्रों की परिनिरीक्षा तथा मतों की गणना ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता से जो कुलपति द्वारा नियुक्त किये जाय निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(25) जिस अभ्यर्थी को अधिकतम संख्या में मत प्राप्त हों यथाविधि निर्वाचित घोषित किया जायेगा। जब दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर–बराबर मत प्राप्त हो तो अन्तिम चयन कुलपति तथा निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में पर्ची डालकर किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के नाम की पर्ची उठेगी वही निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(26) निर्वाचित घोषित किये गये व्यक्ति के नाम की सूचना सरकार को सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए तुरन्त दी जायेगी।

(27) कोई व्यक्ति जो ऊपर निर्धारित उपबन्धों के अनुसार यथाविधि निर्वाचित हुआ हो अपने निर्वाचन होने की अधिसूचना के दिनांक से प्रबंध बोर्ड के तदर्थ का पद धारण करने का पात्र होगा। किसी प्रतिनिधि के निर्वाचित होने की सूचना पुराने प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त ही प्रकाशित की जायेगी।

(28) मतपत्र की वैधता या अन्य किसी बात के संबंध में आपत्ति तुरन्त करनी चाहिए। निर्वाचन से संबंधित किसी अन्य बात के संबंध में याचिका निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाने के दिनांक से 10 दिन के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह याचिका एक समिति को प्रस्तुत की जायेगी जिसमें कूलपति या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति और बोर्ड के ऐसे दो सदस्य होगें जो बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष नियुक्त किये जायगें। कुलपति अथवा उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति पदेन सभापति होगा। समिति का निर्णय अन्तिम होगा। मतभेद होने की दशा में बहुमत का निर्णय मान्य होगा। समिति की गणपूर्ति सभापति तथा एक सदस्य से होगी। उस दशा में जब बहुमत की राय उपलब्ध न हो तो सभापति का निर्णय मान्य होगा और वह अंतिम होगा।

(29) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की समाप्ति के दिन के दिनांक से 6 महीने की अवधि की समाप्ति अथवा यदि उस निर्वाचन के संबंध में कही कोई वाद चल रहा हो उस वाद की समाप्ति तक निर्वाचन से संबंधित राशि पत्रादि एक समिति के सामने मुहरबन्द किया जायेगा जिसमें कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट बोर्ड के दो सदस्य होगें और तदुपरान्त कुलपति द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते वह उन्हें नष्ट करवा देगा।

(30) कुलपति द्वारा कोई आपात स्थिति हो।

(क) जब किसी निर्वाचन के संपादन के दौरान निर्वाचन अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन न कर सका हो किसी अन्य व्यक्ति को प्रति नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) निर्वाचन से संबंधित कार्य संपादन के लिए निश्चित दिनांक अथवा दिनांकों की किसी मध्यवर्ती स्तर पर स्थगित करने के लिए सक्षम होगा। कुलपति ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और उसकी सूचना तुरन्त बोर्ड को देगा।

....

परिशिष्ट–1

पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

कुलसचिव
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर – 263145 जिला–उधमसिंह नगर।

महोदय,

मै..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...
......आपसे प्रार्थना करता हूँ/करती हूँ कि कृपया मेरा नाम विश्वविद्यालय के स्नातक रजिस्टर में पंजीकृत कर लें। वांछित सूचना निम्न प्रकार है।

नाम एवं आईडी0 न0	उपाधियां जो प्राप्त कीं'	उपाधि प्राप्ति का वर्ष
	1. 2. 3.	

'साक्ष्य स्वरूप निर्गत उपाधि प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रतियां संलग्न करें।

निर्धारित पंजीकरण शुल्क नकद भुगतान/बैक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर द्वारा जमा कर दिया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/ वि0वि0 रसीद संख्या	दिनांक	बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निर्गत करने वाले बैंक/पत्रालय का नाम	धनराशि

नोटः प्रथमतया पंजीकरण शुल्क रूपया 50/– है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु रू0 10/– जमा किया जाना आवश्यक है अन्यथा पंजीकरण रद्द कर दिया जायगा। बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर वित्त नियंत्रक, गो.ब.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा यूको बैंक अथवा पंजाब नैशनल बैंक, पंतनगर शाखा पर देय होना चाहिए।

भवदीय

हस्ताक्षर...
पूरा नाम...
दिनांकः.. पता...

———————————————————————————————————————

शुल्क प्राप्ति का सत्यापन

शुल्क की राशि..............................रूपये बैक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/नकद भुगतान द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

लेखाकार

अभिलेख अनुभाग द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थी ने .... उपाधि इस विश्वविद्यालय से वर्ष ....में पूरी की । उक्त उपाधि............................दीक्षान्त समारोह में प्रदान की गई, अभ्यर्थी पंजीकरण के लिए योग्य है।

मुख्य लिपिक सहायक कुलसचिव (अभिलेख)

कुलसचिव के आदेश

पंजीकृत किया जाय।

कुलसचिव

पंजीकरण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या................................क्रम संख्या...........................पर पंजीकृत किया। पंजीकरण की सूचना पत्र संख्या...................................... दिनांक ....द्वारा भेजी गई।

सहायक कुलसचिव **उप कुलसचिव**

परिशिष्ट – 2

नाम निर्देशन प्रपत्र का प्रारूप

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला– उधमसिंह नगर

पंजीकृत स्नातक विवरण पत्र

अभ्यर्थी का पूरा नाम एवं परिचयांक	उच्चतम उपाधि जो इस विश्व–विद्यालय से प्राप्त की हो	उपाधि किस कन्वोकेशन में प्राप्त की गयी	पंजीकृत स्नातक रजि0 संख्या	पत्राचार हेतु पूरा पता

प्रस्ताव कर्ता

हस्ताक्षर..................................
पूरा नाम................................
पंजीकृत स्नातक रजिस्ट्रेशन सं0............................
....
पूरा पता...
....

अनुमोदन कर्ता

हस्ताक्षर..................................
पूरा नाम................................
पंजीकृत स्नातक रजिस्ट्रेशन सं0...........
पूरा पता..
....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मै चुनाव के लिए खड़े होने की घोषणा करता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
तिथि................................

——

टिप्पणीः 1.एक पंजीकृत स्नातक केवल एक ही का नाम निदिष्ट कर सकता है।

2.किसी भी व्यक्ति(जो पंजीकृत स्नातक भी हो) के नाम का प्रस्ताव केवल एक व्यक्ति द्वारा तथा प्रस्ताव अनुमोदन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

3.प्रस्ताव तब तक बैध नही होगा जब तक प्रस्तावित अभ्यर्थी ने अपनी सहमति न दे दी हो।

परिशिष्ट–3

<table>
<tr>
<td>प्रतिपर्ण
(कार्यालय द्वारा रखा जायगा)
मतपत्र अग्रसारित करने के लिए सहपत्र

मतदाता का नाम
....
पंजीकृत स्नातक सं0 ....</td>
<td>मतपत्र भेजने के लिए सहपत्र का प्रारूप
रजिस्टर्ड पत्र
कुलसचिव
गो.ब.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
<u>पंतनगर–263145</u>
महोदय,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने के लिए पंजीकृत स्नातक के प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मैं सीलड लिफाफे में अपना मत पत्र भेज रहा हूं।
भवदीय,
हस्ताक्षर...
पूरा नाम..
पंजीकृत स्नातक संख्या................
पूरा पता..
मैं प्रमाणित करता हूं कि मतदाता ने उपर्युक्त सहपत्र में मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इनकी शिनाख्त भी ....जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, ने की है।
अनावश्यक को काट दें।
हस्ताक्षर तथा विभागीय मुहर

नोटः यह प्रमाण पत्र इस विश्वविद्यालय के संघटक कालेज के किसी अधिष्ठाता, कोई राजपत्रित अधिकारी, आफीसर कमान्डिग</td>
</tr>
</table>

	यदि मतदाता रक्षा सेवा में कार्यरत हो द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यदि मतदाता इनमें से कोई व्यक्ति हो और चुनाव के लिए प्रत्याशी हो उसे प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नही है।

<table>
<tr><td rowspan="4">प्रतिपर्ण
(कार्यालय द्वारा रखा जायगा)
गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व–विद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने के लिए पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि का चुनाव।
पंजीकृत स्नातक की नामांकन सं0
...................................</td><td colspan="4">मतपत्र का प्रारूप
रजिस्टर्ड पत्र
गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर

गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर के प्रबन्ध मण्डल में कार्य करने के लिए पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि का चुनाव।</td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>अभ्यर्थियों के नाम (वर्णमाला क्रमानुसार तथा उपाधियां</td><td>अभ्यर्थियों के पते</td><td>निर्वाचक द्वारा निशान</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.</td></tr>
<tr><td colspan="4">टिप्पणीः केवल एक प्रतिनिधि ही निर्वाचित किया जाना है जिस अभ्यर्थी के नाम मत देना चाहते हैं उसके नाम के आगे दिये आयत मे (ग) निशान बना दे।</td></tr>
</table>